

बिहार स्टेट मार्टिनरीटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लिमिटेड

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईवे रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email: minicorporatna@gmail.com. website: www.bsrfc.org)

संख्या: बी.एस.एम.एफ.सी./

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृतिपत्र

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के साथ संख्या-3060 दिनांक-08.12.2016 के आलोक में राज्य समर्पित मुख्यमंत्री आवेदकों से प्रामुख्यता प्रथमता द्वारा लखीसराय जिला के उद्देशीय कारणावली/दस्तावेज प्रस्तुत करके उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में अलग राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अग्रशुल्का के आधार पर कुल 03 लाखों की उनका नाम के सामने अंकित डेब्ट में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दशांश गणना की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से अलग राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त प्रदेश के आलोक में स्वीकृत अलग राशि में से 0.5% प्रसिद्धि चार्ज के रूप में कटौती करने के प्रस्ताव नीचे सूची प्रारंभ के समय में दशांश गणना की स्वीकृति के आधार काई आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	वयन	राशि	क्रमांक	Appl Name / F/H Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Loss 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	9/66	99500		MOHAMMAD IBRAHIM NOOR, S/O- NOOR MOHAMMAD NOOR, Vill.- LAKHISARAI, Dist.-LAKHISARAI-811311	A/c No:- 34371619403	MOBILE SHOP	100000	500	99500
2.	10/156	49750		MOHAMMAD MUSTAFA, S/O- MD TAIYAB, Vill.-GARHI BISHANPUR, Block+P.S.-LAKHISARAI, PO-KIUL, Dist.-LAKHISARAI-811310	A/c No:- 50170010548417	FISH WHOLE SALE	50000	250	49750
3.	01/17	99500		MD AFJAL ANSARI, S/O- MD USHUF ANSARI, Vill.-NAWADIH GULMI, Block-RAMGARD CHOWK, PS-HALSI, PO-TETARHAT, Dist.-LAKHISARAI-811311	A/c No:- 30411809716	BAG FACTORY	100000	500	99500
TOTAL							250000	1250	248750

स्वीकृत अलग राशि में वर्णित डेब्ट में लागू राशि द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चय रूप से कर लिया जाना है तथा अलग राशि से मुजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर प्रामुख्यता कायम के प्रथमता द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

उक्त स्वीकृत अलग राशि को अगुधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान वार्षिक किस्ती अर्थात 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

संख्या: 1369

दिनांक: 28/8/18

प्रबंध निदेशक
रु०/-

प्रतिनिधि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण प्रदाधिकारी, लखीसराय / सभी अगुधारकों/अलग राशि/अलग राशि (कम्प्लैट सेल)/ लेखा शाखा/प्रामुख्यता कायम के प्रथमता कायम एवं अगुधारनायक शीघ्रता

प्रबंध निदेशक
28/8/18